झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

एकादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 21.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह स0वि0स0 श्री नवीन जायसवाल स0वि0स0	राजधानी राँची में राज्य की धरोहर हिन्दू धर्मावलम्बियों की हृदय स्थली एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का अस्तित्व आज खतरे में पड़ गया है। मंदिर की प्रसिद्धि के बाद यहाँ भक्तों एवं धुमने आने वालों पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी, तो यहाँ सुविधाओं की भी जरूरत होने लगी। पहाड़ी मंदिर परिसर की मिट्टी ठोस नहीं होने के कारण जहाँ-तहाँ भूस्खलन हो रहा है। यहाँ देश का सबसे बड़ा तिरंगा फहराने हेतु लगाए गए भारी-भरकम पोल से भी भूस्खलन हो रहा है एवं पहाड़ी के इर्द-गिर्द के जमीन का अतिक्रमण भी हो रहा है। अतः मैं ध्यानाकर्षण के माध्यम से ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर के अस्तित्व को बचाने हेतु मंदिर के चारों तरफ गार्डवाल बनवाने एवं सौंदर्यीकरण करवाने सहित इसके संरक्षण एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग करता हूँ।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य

01.	02.	03.	04.
02-	श्री भूषण तिर्की स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के अंशदायी पेंशन योजना 2004 के अन्तर्गत कुछ नियुक्त कर्मियों की वित्तीय वर्ष-2008-09 एवं 2009-10 की कटौती की गई राशि ब्याज गणना में नहीं जोड़ा गया है, जिससे कर्मियों के संग्रहित राशि में काफी अंतर देखने को आ रहा है। जिस कारण कर्मियों में काफी निराशा है। अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त वित्तीय वर्ष में कटौती की गई राशि को जोड़ते हुए ब्याज गणना कर संग्रहित राशि को अद्यतन करने के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	वित्त
03-	श्री दिनेश विलियम मरांडी स0वि0स0	पाकुड़ जिला में चल रहे अवैध लाटरी के संबंध में ध्यान आकर्षण की सूचना देता हूँ। पाकुड़ जिला के हिरणपुर-प्रखण्ड, अमड़ापाड़ा प्रखण्ड लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड, पाकुड़िया प्रखण्ड महेशपुर प्रखण्ड आदि में अवैध लाटरी का कारोबार बहुत ही फल-फूल रहा है। जिसके कारण सैकड़ों घर बर्वाद हो चुके है। लोक कर्ज में डुबते जा रहे है। सारे लोग लाटरी के कारण बर्वाद हो चुके है। पारिवारिक कलह उत्पन्न हो रहे है। इस गैर कानूनी धंधे को पूर्णतः बंद करने की जरुरत है। अगर नहीं बंद कर पा रहे है तो इसे धंधे को कानूनी रूप दे दिया जाए ताकि सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो। गैर कानूनी तरीके से लाटरी का व्यवसाय चलना सरकार के राजस्व को अपूरणीय क्षति पहुँचा रहा है। अतः सरकार का ध्यान लोक हित में आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
04-	श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0 श्री सरयू राय स0वि0स0 श्री नलिन सोरेन स0वि0स0	विनोद बिहारी महतो कोयालांचल विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अपने शक्तियों का दुरूपयोग किया जा रहा है और विश्वविद्यालय के अधीन जितने बी0एड0 कॉलेज है, उनका भयादोहन किया जा रहा है और पैसों की मॉंग की जाती है। इसके कारण बी0एड0 कॉलेजों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है,	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		और अंततः इसका वित्तीय भार छात्रों पर पड़ रहा है। जो राज्यहित, जनहित एवं शिक्षा के कार्य-संस्कृति के प्रतिकूल है। ऐसी स्थिति अगर सरकारी विश्वविद्यालयों की होगी तो निजी विश्वविद्यालय और मनमानी करेंगे। अतः इसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ और विधिसम्मत कार्रवाई की माँग करता हूँ।	
05-	श्री राज सिन्हा स0वि0स0 श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0 श्री राजेश कच्छप स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा (T.G.T.-2016) की परीक्षा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई। आयोग द्वारा सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। विज्ञापन के अनुसार आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्णता एवं न्यूनतम प्राप्तांक 45 प्रतिशत निर्धारित था। इस आलोक में जिन्हें किसी भी विषय में प्राप्तांक 45 प्रतिशत था वे आवेदक परीक्षा में शामिल हुए और वे आयोग द्वारा सफल घोषित हुए। उनकी नियुक्ति भी हुई है वे अभी विभिन्न स्कूल में कार्यरत हैं। अन्य जिलों की तरह धनबाद जिला के सफल एवं अनुशंसित शिक्षकों में से कुछ शिक्षकों की नियुक्ति हुई, किन्तु 17 अनुशंसित शिक्षकों का योगदान संबंधित पदाधिकारी द्वारा नहीं लिया जा रहा है। उन्हें इस आधार पर नियुक्त करने से रोका जा रहा है कि वे संबंधित विषय में प्राप्त स्नातक प्रतिष्ठा नहीं है। विज्ञापन की शर्त्त में स्नातक में 45 प्रतिशत अंक से उत्तीर्णता ही अनिवार्य था साथ ही विज्ञापन के अनुसार कोई अभ्यार्थी एक से अधिक विषय में भी आवेदन कर सकता है।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

01.	02.	03.	04.
		अतः मैं चयनित एवं अनुशंसित उम्मीदवारों के हित में तथा राज्यहित में न्यायोचित तरीके से धनबाद/गिरिडीह जिला के 17 लम्बित मामलों में शीघ्र योगदान की स्वीकृति हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 21 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-1449/वि0 स0, राँची, दिनांक- 20/03/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग/सचिव, वित्त विभाग/सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रंजीत कुमार 20/3/2023
(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-1449/वि0 स0, राँची, दिनांक- 20/03/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत कुमार 20/3/2023
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-